संख्या-683/2023 /1512/35-4-2023/35-4099/195/2021

प्रेषक,

डा0 संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़ ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 22 जून, 2023

विषय: जनपद-प्रतापगढ़ में वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद, प्रतापगढ़ में शासनादेश संख्या-242/2021/2003/35-4-2021, दिनांक 20 नवम्बर, 2021 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित 01 कार्य की रू0 262.51 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 26.00 लाख की धनराशि तथा शासनादेश संख्या-83/2023/1325/35-4-2022/001-35-4099/195/2021, दिनांक 13 फ़रवरी, 2023 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-90/2023/1325/35-4-2022/001-35-4099/195/2021, दिनांक 15 फ़रवरी, 2023 द्वारा दूसरी क़िस्त में रूपये 103.08 लाख की धनराशि, इस तरह कुल रू0 129.08 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ के पत्र सं0-94/त्व0आ0वि0यो0/2023-24, दिनांक 18 मई, 2023 द्वारा उक्त शासनादेश से 01 कार्य की अनुमोदित लागत रू0 262.51 लाख के सापेक्ष प्रथम एवं द्वितीय किश्त में अवमुक्त की गई धनराशि रू0 129.08 लाख का पूर्ण उपभोग किया जाना इंगित किया गया है तथा जिलाधिकारी, के पत्र के साथ संलग्न मांग/समर्पण प्रपत्र में कार्य की लागत में रू0 4.35 लाख की बचत दर्शाया है एवं अवशेष धनराशि रू0 129.08 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि रू0 129.08 लाख (रूपये एक करोड़ उन्नतीस लाख आठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित सारणी के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. लाख मे)

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	बचत	संशोधित आवश्यकता	पूर्व मे अवमुक्त धनराशि (प्रथम एवं द्वितीय किश्त में)	अवमुक्त धनराशि
1	दीवानगंज मंगरौरा इटवा दुर्गादेई डीह संपर्क मार्ग।	262.51	4.35	258.16	129.08	129.08

1-सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 20 नवम्बर, 2021 एवं दिनांक 13 फ़रवरी, 2023 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चिमत किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2024 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2024 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये धनराशि रू०, 01,29,08000 लाख (रूपये एक करोड़ उन्नतीस लाख आठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

संख्या-683/2023(1)/1512/35-4-2023/35-4099/195/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग / ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त उ0प्र0शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 ।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, प्रयागराज मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
10-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रतापगढ़ ।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12-संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग|
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, प्रतापगढ़ ।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग , प्रतापगढ़ ।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**